TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 30th April, 1991

No. JD-91/7466- In exercise of the powers conferred by sub-section (i) (B) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 as amended upto date and all other powers enabling him the Governor of Haryana is pleased to declare the area around High School at Village-Kherla, District Gurgaon as specified in the schedule given below and shown on the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act,:-

ANNEXURE

Schedule of Boundaries of the controlled area around High School at Village-Kherla, Dist. Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 195/91 dated 1st February, 1991.

SCHEDULE

- North:-Starting from point 'A' i.e. the North-Western corner of rect. No. 31 of village Kherls, thence towards East along the Northern boundary of rect. No.31,30,29,28,27 thence towards South along the Eastern boundary of Rect. No. 27, thence towards East along the Northern boundary of Rect. No. 43, 44 upto to point 'B' which is the North-Eastern corner of Rect. No. 44.
- **East:-** Thence towards south along the Eastern revenue boundary of Rect. No. 44, Thence towards the Southern boundary of Rect. No. 44, thence towards south along the Estern Rect. No. 48 of village Kherla upto point 'C' which is South-Eastern corner of Rec. No.48.
- **South:** Thence towards west along the Southrn boundaryof Rect. No. 48,49,50,51,52,53 of point 'D' which is the South-Western corner of Rect. No. 53.
- **West:** Thence towards North along the western boundary of Rect. No. 53,38,31, up to the point of start.

DR. TARSEM LAL

Commissioner & Secretary to Government, Haryana, Town & Country Planning Department.

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.) APRIL. 30, 1991 (VYSK 10, 1913 SAKA)

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 30 अप्रैल, 1991

संख्या ले0 डी0—91 / 7467— पंजाब अनुसूचित सड़के तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा—4 की उप—धारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,भारत के राष्ट्रपति नीचे दी गई अनुसूची में विनिदिष्ट और इससे संलग्न नक्शे में दिखाये अनुसार उच्च विद्यालय गांव रिथोज, जिला गुड़गांव के आस—पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थातः—

अनुसूची

जिला गुड़गांव के गांव रिथोज में उच्ज विद्यालय के आस—पास के नियन्त्रत क्षेत्र की सीमा— अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी० टी० पी० (जी) 196/91, दिनांक 1 फरवरी, 1991 के साथ पढ़ा जाये।

- उत्तर और पूर्व : बिन्दु "ए" गर्थात् गांव रिथोज की आयत संख्या 8 के उत्तर पूर्वी कोने से लेकर, उसके बाद दक्षिण की ओर आयत 8 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ, उसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 18 की उतरी सीमा के साथ—साथ उसके बाद दक्षिण की ओर आयत संख्या 18,24 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ, उसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 32 की उतरी सीमा के साथ—साथ, उसके बाद दक्षिण की ओर आयत संख्या 32,44 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ उसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 48 की उतरी सीमा के साथ—साथ उसके बाद दक्षिण, पश्चिम की ओर गांव रिथोज की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ—साथ और जो आयत सुंख्या 48,60 की पूर्वी सीमा भी है, उसके बाद पश्चिम की ओर आयत संख्या 61 का दक्षिण के साथ—साथ, उसके बाद दक्षिण की ओर गांव सहजावास की आयत संख्या 20,31 और 41 की पूर्वी सीमा और गांव बेहलपा का आयत संख्या 7 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ उसके बाद पूर्व और दक्षिण की ओर गुड़गांव से सोहना तक जाने वाली सड़क की दिक्षणी सीमा के साथ—साथ बिन्दु "बी" तक जो गांव बेहलपा की आयत संख्या 24 का दिक्षण पूर्वी कोना है।
- दक्षिणः उसके बाद पश्चिम की ओर गांव बेहलपा की आयत संख्या 24, 25, 26, 27, 28, 29 की दक्षिणी सीमा ओर गांव सहजावास की आयत संख्या 53 की दक्षिणी सीमा के साथ—साथ बिन्दु ''सी'' तक अर्थात गांव सहजावास की आयत संख्या 53 के दि्षण पश्चिमी कोने तक।
- पश्चिम: उसके बाद उत्तर की ओर आयत संख्या 53,49 की पश्चिमी सीमा के साथ—साथ उसके बाद पश्चिम की ओर आयत संख्या 45,46 की दक्षिणी सीमा के साथ—साथ, उसके बाद उतर की ओर गांव सहजावास की आयत संख्या 46, 26, 25 और 24 की पश्चिमी सीमा और आयत संख्या 55, 54 और 38 की पश्चिमी सीमा आयत संख्या 37 की उतरी सीमा, आयत संख्या 36, 21, 20 की पश्चिमी सीमा, आयत संख्या 8 की उतरी सीमा, गांव रिथोज की आयत संख्या 8 की पश्चिमी सीमा के साथ—साथ बिन्दु "ए" तक अर्थात आरम्भ के बिन्दु तक।

डा० तरसेम लाल, आयुक्त एवं सचिव, हरियाण सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।